बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पटना/ दिनांक 31|10|2019

अधिसूचना

संख्या–नि॰ प्रा॰/ नि॰ 1-03/2015 खंड 1714 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक-3 (संबंधित जिला का नाम) में अंकित उन प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित है अथवा जिनका निर्वाचन देय है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त प्राथमिक कृषि साख समितियों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **क्रमशः प्रथम चरण के लिए दिनांक 09.12.2019 (सोमवार), द्वितीय चरण के लिए दिनांक 11.12.2019 (बुधवार), तृतीय चरण के लिए दिनांक 13.12.2019 (शुक्रवार), चतुर्थ चरण के लिए दिनांक 15.12.2019 (रविवार) एवं पंचम चरण के लिए दिनांक 17.12.2019 (मंगलवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या **1574 दिनांक 09.10.2019** से मतदाता सूची तैयार करने के लिए **कट-ऑफ तिथि दिनांक 16.10.2019** एवं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि दिनांक 11.11.2019 निर्धारित की गयी है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक **प्रपत्र-ई० 1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 11.11.2019 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। पाँचों चरणों के लिए मतदान का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है, लेकिन इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथियों को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई० 1) में किया जायेगा। यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति मतदान पश्चात् उसी दिन अथवा अगले दिन को सुबह 08:00 बजे से शुरू की जाय। यदि मतगणना मतदान के दिन ही होती है तो कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है तो वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त पेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। **अनुलग्नक-2 पर प्रपत्र-ई 1** में मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा। सभी प्रपत्रों ''ई'' (यथा-ई 1, ई 2 इत्यादि) में संशोधन किया गया है। अत: सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु ''निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' (01 जुलाई, 2019 तक संशोधित) में उल्लिखित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जायगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाईट www.bsea.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

जिन प्राथमिक कृषि साख समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र–ई० 3** (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लेखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र–ई० 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** तथा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

31/10/19

अनुलग्नक: यथोक्त।

(गिरीश शंकर)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1714 पटना/ दिनांक 31/10/2019

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1714 पटना/ दिनांक 31/10/2019

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ सभी पुलिस अधीक्षक/ सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स0स0)/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), कुटुम्बा, औरंगाबाद एवं रामनगर, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध है कि पैक्स चुनाव, 2014 की भाँति इस चुनाव में भी **दिनांक 22.11.2019** तक अपने स्तर से पर्यवेक्षक (Observer) की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 07:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है।

3. सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1714 पटना/ दिनांक 31/10/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1714 पटना/ दिनांक 31/10/2019

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1714 पटना/ दिनांक 31/10/2019

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
पैक्स निर्वाचन 2019
निर्वाचन कार्यक्रम

क0	निर्वाचन के प्रक्रम	पहला चरण	दूसरा चरण	तीसरा चरण	चौथा चरण	पॉचवा चरण
1	सूचना का प्रकाशन	11 नवम्बर, 2019 (सोमवार)	13 नवम्बर, 2019 (बुधवार)	15 नवम्बर, 2019 (शुक्रवार)	17 नवम्बर, 2019 (रविवार)	19 नवम्बर, 2019 (मंगलवार)
2	नामांकन देने के अवधि	26.11.2019 से 28.11.2019	28.11.2019 से 30.11.2019	30.11.2019 से 02.12.2019	02.12.2019 से 04.12.2019	04.12.2019 से 06.12.2019
3	संवीक्षा की तिथि	29.11.2019 (शुक्रवार) से 30.11.2019 (शनिवार)	01.12.2019 (रविवार) से 02.12.2019 (सोमवार)	03.12.2019 (मंगलवार) से 04.12.2019 (बुधवार)	05.12.2019 (गुरूवार) से 06.12.2019 (शुक्रवार)	07.12.2019 (शनिवार) से 08.12.2019 (रविवार)
4	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	02.12.2019 (सोमवार)	04.12.2019 (बुधवार)	06.12.2019 (शुक्रवार)	08.12.2019 (रविवार)	10.12.2019 (मंगलवार)
5	मतदान	9.12.2019 (सोमवार)	11.12.2019 (बुधवार)	13.12.2019 (शुक्रवार)	15.12.2019 (रविवार)	17.12.2019 (मंगलवार)
6	मतगणना	09.12.2019 (मतदान के तुरंत पश्चात्) अथवा 10.12.2019 (मंगलवार)	11.12.2019 (मतदान के तुरंत पश्चात्) अथवा 12.12.2019 (गुरूवार)	13.12.2019 (मतदान के तुरंत पश्चात्) अथवा 14.12.2019 (शनिवार)	15.12.2019 (मतदान के तुरंत पश्चात्) अथवा 16.12.2019 (सोमवार)	17.12.2019 (मतदान के तुरंत पश्चात्) अथवा 18.12.2019 (बुधवार)
7	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	23.12.2019

....समिति का निर्वाचन

प्रपत्र-ई 1

सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड .... के अन्तर्गत ....(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक ....को किया जाना है,

मैं...निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय .... (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में ....(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को ....(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक .... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह् से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ....से दिनांक...................................... तक ....बजे से .... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक ....को ....(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ....को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....(स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जायेगा ।

(Viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक .... को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा :-

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम
(1)	
(2)	
(3)	

(ix) मतगणना दिनांक ....को ....बजे से ....(स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

स्थान-
तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हों, उसे काट दें।